एन एस आई सी
N S I C

बैंक गारंटी सुरक्षा के सापेक्ष थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों को सहायता (एडब्ल्यूआरटी)

योजना का नाम

इस योजना को बैंक गारंटी सुरक्षा के सापेक्ष सामग्री/वस्तुओं और सेवा की खरीद हेतु थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों को सहायता (संक्षिप्त रूप में - एडब्ल्यूआरटी) कहा गया है।

योजना का उद्देश्य

उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र रखने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से संबंधित थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं की सहायता के लिए, एनएसआईसी कार्यशील पूंजी आवश्यकताएं प्रदान करने की व्यवस्था करता है। यह सहायता ऐसे थोक विक्रेताओं/निर्माताओं/खुदरा विक्रेताओं से वस्तुओं की खरीद हेतु दी जाएगी, जो कानून द्वारा निषिद्ध नहीं हैं या जो सार्वजनिक हित के खिलाफ नहीं हैं।

स्टॉक ट्रेडिंग में शामिल व्यापारियों के मामले में अर्थात "कमोडिटी/वस्तु बाजार में" इस उद्देश्य हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

थोक आपूर्तिकर्ता और आपूर्तिकर्ताओं (उन्हें छोडकर, जिनके साथ समझौता ज्ञापन की व्यवस्था की गई है) के साथ व्यवस्था निम्नानुसार हो सकती हैः

क. एल्युमीनियम, जस्ता, तांबा, लोहा और स्टील, सीमेंट आदि जैसे थोक सामग्री, जिन्हें एनएसआईसी के माध्यम से उनके निर्माताओं के साथ एक समझौता ज्ञापन निष्पादित करके व्यवस्थित किया गया है।

ख. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विशिष्ट अनुरोध पर आपूर्तिकर्ताओं (उन्हें छोडकर, जिनके साथ एमओयू व्यवस्था की गई है) से सामग्री/सामान।

(क) और (ख) दोनों व्यवस्थाओं के तहत, आपूर्तिकर्ता का चयन एमएसएमई द्वारा किया जाता है, और इकाई के अनुरोध पर भुगतानएनएसआईसी द्वारा सीधे आपूर्तिकर्ता को जारी किया जाता है।

इस मैनुअल का उद्देश्य हमारी कच्ची सामग्री सहायता योजना (केवल बैंक गारंटी की सुरक्षा के सापेक्ष) के अंतर्गत सामग्री/वस्तुओं और सेवा के लिए थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता के रूप में

एमएसएमई इकाइयों को सहायता प्रदान करते हुए निगम के सभी कार्यालयों को प्रक्रिया और दिशानिर्देश प्रदान करना है।

योजना की कार्य-व्याप्ति

यह सुनिश्चित करने के लिए एक उचित प्रक्रिया स्थापित करना कि थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को समुचित सेवाएँ प्रदान की जा रही है, और थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेताओं (एमएसएमई इकाइयों) को सामग्री/वस्तुओं तथा सेवा की खरीद के लिए सहायता प्रदान करते हुए निगम के सभी कार्यालयों को थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों की सहायता योजना के तहत दिशा-निर्देश प्रदान करना, जिसे एडब्ल्यूआरटी योजना कहा जाता है।

- **थोक विक्रेता का अर्थ** - व्यापार के उस रूप में संलग्न एमएसएमई इकाइयाँ, जिसमें वस्तुओं को बड़ी मात्रा में खरीदा और संग्रहीत किया जाता है और एक निर्दिष्ट मात्रा के बैचों में पुनर्विक्रेताओं, पेशेवर उपयोगकर्ताओं या समूहों को बेचा जाता है, लेकिन अंतिम उपभोक्ताओं को नहीं।
- **खुदरा विक्रेताओं का अर्थ** - एमएसएमई इकाइयाँ जो किसी निर्माता या थोक विक्रेता से उत्पाद खरीदने और उन्हें अंतिम उपयोगकर्ताओं या ग्राहकों को बेचने में संलग्न हैं।
- **एजेंटों का अर्थ, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वितरक, खेप एजेंट, व्यापारी, कमीशन एजेंट शामिल हैं:**"एजेंट" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अन्य की ओर से माल या सेवाओं की आपूर्ति या प्राप्ति का व्यवसाय करता है, जिसमें एक एजेंट, दलाल, कमीशन अभिकर्ता, प्राधिकरण, अन्य एजेंट, नीलामीकर्ता या कोई अन्य व्यापारिक एजेंट, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए, शामिल होते हैं;

पात्रता मापदंड:

थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं (एमएसएमई) के लिए पात्रता मानदंड जो सामग्री/वस्तु और सेवा संबंधी **एडब्ल्यूआरटी योजना**के तहत सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हैं:-

क्र.सं.	थोक विक्रेताओं हेतु	खुदरा विक्रेताओं हेतु
1.	इकाई के पास अनिवार्य रूप से उद्यम और जीएसटी पंजीकरण होना चाहिए।	इकाई के पास अनिवार्य रूप से उद्यम और जीएसटी पंजीकरण होना चाहिए।
2.	इकाई को पिछले तीन वर्षों से लाभ अर्जित करना चाहिए (अर्थात, लेखापरीक्षित तुलन-पत्रों के अनुसार पिछले 3 वर्षों से कर पूर्व लाभ)।	इकाई को पिछले तीन वर्षों से लाभ अर्जित करना चाहिए (अर्थात, लेखापरीक्षित तुलन-पत्रों के अनुसार पिछले 3 वर्षों से कर पूर्व लाभ)।
3.	लेखापरीक्षित तुलन-पत्रों के अनुसार, इकाई	लेखापरीक्षित तुलन-पत्रों के अनुसार, इकाई

	की बिक्री पिछले 3 वर्षों (प्रत्येक वर्ष) में 150.00 लाख रुपये से अधिक होनी चाहिए।	की बिक्री पिछले 3 वर्षों (प्रत्येक वर्ष) में 100.00 लाख रुपये से अधिक होनी चाहिए।
4.	इकाई कम से कम दो ऐसे पंजीकृत निर्माताओं से सामान खरीद रही है, जिन्हें जीएसटी पर पंजीकृत होना चाहिए।	यह इकाई पंजीकृत ऐसे थोक विक्रेताओं से सामान खरीद रही हो, जिन्हें जीएसटी पर पंजीकृत होना चाहिए।
5.	इकाई के पास आवश्यक व्यवसाय लाइसेंस, संबंधित प्राचार्य/विभाग-प्रमुख से डीलर/वितरक प्रमाणपत्र होना चाहिए और/या व्यवसाय को चलाने के लिए अन्य वैधानिक अनिवार्यताओं का अनुपालन करना चाहिए।	इकाई के पास आवश्यक व्यवसाय लाइसेंस, संबंधित प्राचार्य/विभाग-प्रमुख से डीलर/वितरक प्रमाणपत्र होना चाहिए और/या व्यवसाय को चलाने के लिए अन्य वैधानिक अनिवार्यताओं का अनुपालन करना चाहिए।
6.	इकाई के पास उचित व्यावसायिक परिसर होना चाहिए, अर्थात कम से कम एक गोदाम जो व्यवसाय के पैमाने के संदर्भ में पर्याप्त स्थान प्रदान करता हो।	इकाई के पास उचित व्यावसायिक परिसर होना चाहिए अर्थात व्यवसाय के पैमाने की दृष्टि से पर्याप्त स्थान होना चाहिए।

स्वीकृत सीमा की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

- इकाई की पिछले तीन वर्षों की औसत बिक्री का 30% (बैंक गारंटी के संबंध में बैंक स्वीकृति सीमा के अधीन) हो।

<u>सामग्री/वस्तुओं और सेवा की खरीद हेतु थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों को सहायता (एडब्ल्यूआरटी) योजना के तहत आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की जांचसूची</u>

1. प्रत्येक स्वामी/निदेशकों/भागीदार/समिति के पदाधिकारी का पासपोर्ट आकार का फोटो।
2. ग्राहक का आधिकारिक विधिमान्य दस्तावेजों (ओवीडी) के रूप में निम्नलिखित विधिमान्य स्व-साक्ष्यांकित दस्तावेज, जिसमें उनकी पहचान और पते का सबूत होः

ग्राहक का प्रकार	**आधिकारिक विधिमान्य दस्तावेजों (ओवीडी)**
कंपनी के मामले में स्वामी/भागीदार/निदेशक/प्राधिकृत व्यक्ति के संबंध में (जिसे निदशक मंडल द्वारा विधिवत प्राधिकृत किया गया हो) विधिवत प्राधिकृत समिति के पदाधिकारी	(i) पहचान का सबूत : • पैनकार्ड • आधार कार्ड/यदि आधारकार्ड न हो तो ऐसे विशेष मामले में निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेजः • पासपोर्ट • ड्राइविंग लाइसेंस • मतदाता पहचान-पत्र **(II) निवास स्थान का सबूत :** **(निम्नलिखित में से किसी एक की प्रति)** • यूटिलिटी बिल (हाल का टेलीफोन/पोस्ट पेड मोबाइल/बिजली का बिल) • संपत्ति या नगर कर की रसीद • बैंक खाते या डाकघर बचत बैंक खाते का विवरण • पासपोर्ट • ड्राइविंग लाइसेंस • मतदाता पहचान-पत्र • आधार कार्ड

3. निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-साक्ष्यांकित प्रतियां :

(i) एकमात्र स्वामित्व के मामले में

दस्तावेज	**दस्तावेज का प्रकार (निम्नलिखित में से कोई दो)**
स्वामित्व के पहचान का सबूत	• पैन कार्ड • आधार कार्ड/भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी किया गया पत्र। यदि आधार कार्ड न हो तो ऐसे विशेष मामले में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक ✓ मतदाता पहचान-पत्र/निर्वाचन कार्ड ✓ विधिमान्य ड्राइविंग लाइसेंस ✓ निम्नलिखित संस्थान संगठन/व्यावसायिक निकाय द्वारा जारी किया गया विधिमान्य फोटो पहचान-पत्र (बशर्तें कि उस पर फोटो लगी हो) ✓ केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालय और विभाग/अर्धसरकारी विभाग, सांविधिक विनियामक प्राधिकरणों, सरकारी क्षेत्रक उपक्रम (जो केंद्र/राज्य सरकार के अधीन स्थापित हों), रक्षा कार्मिकों और उनके आश्रितों के मामले में रक्षा मंत्रालय/विभाग द्वारा जारी किया गया विधिमान्य फोटो पहचान-पत्र। ✓ केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा

	जारी किया गया वरिष्ठ नागरिक कार्ड, आईसीएआई, आईसीडब्लूएआई, आईसीएसआई, बार परिषद द्वारा जारी किया गया सदस्य पहचान पत्र
	✓ आर्म्स लाइसेंस (केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी) ✓ जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी किया गया भूतपूर्व सैनिक कार्ड ✓ राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिवार कार्ड (जिसके पते का सत्यापन किया गया हो)। राशन कार्ड (बशर्ते कि उस पर फोटो लगी हो) ✓ केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो सामाजिक सुरक्षा स्मार्ट कार्ड ✓ विद्यमान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी की गई बैंक पास बुक। उस पर आवेदक के हस्ताक्षर और फोटो हो। फोटो इस प्रकार लगा हो कि उस पर पास बुक जारीकर्ता बैंक की मुहर लगी हो। पास बुक के उस पहले पृष्ठ को जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित किया जाना चाहिए, जिस पर नाम, पता और अन्य विवरणों का उल्लेख किया गया हो। लेन-देन संबंधी अन्य पृष्ठों को यदि जारीकर्ता बैंक द्वारा साक्ष्यांकित न किया गया हो, तो उन्हें ग्राहक द्वारा स्व-साक्ष्यांकित किया जाना चाहिए और मूल/बैंक कार्मिक द्वारा उन्हें आधिकारिक विधिमान्य दस्तावेज (ओवीडी) किया जाएगा। ✓ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी

	किया गया फोटो क्रेडिट/डेबिट कार्ड/विधिमान्य कार्ड, जिन पर कार्डधारक का फोटो और हस्ताक्षर हो। इसके साथ लेखा विवरण की प्रति हो जो 3 महीने से अधिक पुरानी न हो।
पते का सबूत	**निम्नलिखित में से कोई दो:**
	• पानी/बिजली/लैंडलाइन टेलीफोन जैसी यूटिलिटी का हाल का बिल, जो फर्म के नाम में हो। वह बिल जारी किए जाने की तारीख से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। नेट से डाउनलोड की गई प्रति नहीं होनी चाहिए। • भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया आधार कार्ड/पत्र • मतदाता पहचान पत्र/मतदान कार्ड • विधिमान्य ड्राइविंग लाइसेंस • निम्नलिखित संस्थान/संगठन/व्यावसयिक निकायों द्वारा जारी किए गए विधिमान्य फोटो पहचानपत्र (बशर्ते कि उन पर फोटो लगी हो) • केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के मंत्रालय और विभाग/अर्ध सरकारी विभाग/सांविधिक विनियामक प्राधिकरण/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा स्थापित), रक्षा कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए रक्षा मंत्रालय/विभाग • केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया वरिष्ठ नागरिक कार्ड, आईसीएआई, आईसीडब्लूएआई, आईसीएसआई, बार काउंसिल द्वारा जारी किया गया सदस्य पहचान पत्र। • आर्म्स लाइसेंस (केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी)

	• जिली सैनिक बोर्डों द्वारा जारी भूतपूर्व रक्षा सैनिक कार्ड • राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिवार कार्ड (पते के वास्तविक सत्यापन सहित)/राशन कार्ड (बशर्ते कि उस पर फोटो लगी हो) • केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा जारी फोटो सामाजिक सुरक्षा स्मार्ट कार्ड (फोटो सोशिएल सेक्युरिटी स्मार्ड कार्ड)
आयकर विवरणी	• पिछले तीन वर्ष/या फार्म के गठन की तारीख से (इनमें से जो भी कम हों)

II) **भागीदारी फर्म/एलएलपी के मामले में**

फर्म का नाम	• भागादारी विलेख • पंजीकरण प्रमाण-पत्र, यदि पंजीकृत हो। • फर्म का पैनकार्ड
पते का सबूत	• एमटीएनएल का टेलीफोन बिल/राष्ट्रीयकृत बैंक खाते का विवरण/बिजली का बिल/पंजीकृत किराया करार
सभी भागीदारों के नाम और उनके केवाईसी	भागीदारों के नाम और केवाईसी के विवरण (कृपया क्र.सं. 2 में उल्लिखित दस्तावेज देखें)
कारोबार के ब्यौरे	• कारोबार का स्वरूप • कारोबार की रूपरेखा संबंधी विवरण और भावी संभावनाएं
कारोबार की सततता संबंधी सबूत	• हाल के पिछले तीन वर्ष का
आयकर विवरणियां	• पिछले तीन वर्ष / या फर्म के गठन की तारीख से (इनमें से जो भी कम

	हो)

(iii) पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड फर्म के मामले में

कंपनी का नाम	• एमओए और एओए (जिसमें निगमन का प्रमाण-पत्र भी शामिल है) (मूल/प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि) • पैनकार्ड
कंपनी का प्रकार	• प्राइवेट लिमिटेड • पब्लिक लिमिटेड
पते का सबूत	• एमटीएनएल का टेलीफोन बिल/राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते का विवरण/बिजली का बिल/पंजीकृत किराया करार।
सभी निदेशकों के केवाईसी और उनकी निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	निदेशकों के नाम और अलग-अलग निदेश कों की पहचान संख्या (डीआईएन) तथा केवाईसी के विवरण (कृपया क्र.सं. 2 पर उल्लिखित दस्तावेज देखें)
कारोबार के ब्यौरे	• कारोबार का स्वरूप • कारोबार की रूप रेखा का विवरण और भावी संभावनाएं
आयकर विवरणियां	• पिछले तीन वर्ष/ या फर्म के गठन की तारीख से (इनमें से जो भी कम हो)

4. निम्नलिखित की स्व-साक्ष्यांकित प्रतिलिपि :
   I. उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र
   II. जीएसटी पंजीकरण प्रमाण-पत्र
5. वैयक्तिक परिसंपत्तियों और देयताओं का स्व-साक्ष्यांकित विवरण तथा स्वामी/निदेशकों/भागीदारों/समिति के पदाधिकारियों के निवास-स्थान के पते।

6. प्राइवेट/पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मामले में निदेशक मंडल के संकल्प की एक प्रति, भागीदारी फर्म के मामले में मुख्तारनामा और यदि समिति के हस्ताक्षरकर्ता को हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो और आवेदक यूनिट के लिए और की ओर से वित्तीय सहायता के संबंध में एनएसआईसी के साथ लेन-देन करने के लिए प्राधिकृत किया है, तो अधिशासी निकाय के संकल्प की प्रति।
7. बैंक द्वारा साक्ष्यांकित प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नमूना हस्ताक्षर।
8. वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा स्वीकृत उधार की सीमा के स्वीकृत-पत्र की प्रति।
9. यूनिट के लेखापरीक्षित/अनंतिम वित्तीय विवरण।
    I. पिछले वर्ष का लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण
    II. चालू वर्ष के अनंतिम वित्तीय विवरण
10. यूनिट के पिछले छः माह का बैंक विवरण।
11. नवीनतम बिजली के बिल की प्रति।
12. बैंकों और वित्तीय संस्थानों (बीजी जारी करने वाले बैंक के अलावा) के साथ यूनिट के आचरण-व्यवहार के लेखों की रिपोर्ट।
13. यूनिट द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र/वचन-पत्र कि उसका (उनके) नाम, कंपनी का नाम/ इसके स्वामी/सहयोगी/सहायक प्रतिष्ठान/सदस्यों/निदेशकों के नाम किसी भी रूप में सीआईबीआईएल/भारतीय रिजर्व बैंक के चूककर्ताओं की सूची में शामिल नहीं हैं या उनके खिलाफ कोई मुकद्दमा नहीं है।
14. यदि पांच करोड़ की सीमा से अधिक सीमा बढ़ाई गई हो तो प्राप्त आदेश की प्रति।

जांच सूची

मामलों के नवीकरण के लिए अपेक्षित दस्तावेज

1. सीमा के नवीकरण के लिए यूनिट का अनुरोध पत्र और इस आशय की घोषणा कि यूनिट के संविधान, प्रमोटरों और पते में कोई परिवर्तन नहीं है।
2. यदि यूनिट के संविधान, प्रमोटरों और पते में कोई परिवर्तन हो तो संमर्थनकारी दस्तावेज प्राप्त किए जाएं।
3. नवीनतम और विधिमान्य बैंक स्वीकृति-पत्र की प्रतिलिपि।
4. यदि आयकर विवरण भरने की नियत तारीख के बाद नवीकरण अपेक्षित हो तो पिछले वित्त वर्ष के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे।

   यदि लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया हो, तो उपलब्ध अद्‌यतन लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों सहित मूल्यनिरूपण फार्म की क्रम संख्या 19 पर उल्लिखित पिछले वित्त वर्ष के वित्तीय मापदंडों के संबंध में स्व-साक्ष्यांकित घोषणा।
5. चालू वित्त वर्ष के प्रस्तावित/अनुमानित वार्षिक लेखे या मूल्य निरूपण टिप्पणी की क्रम संख्या 19 में उल्लिखित स्व-साक्ष्यांकित मापदंड।

अनुबंध ए-1

बीजी-एडब्ल्यूआरटी:01 के विरूद्ध के लिए आवेदन

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

बीजी के विरूद्ध थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों (एडब्ल्यूआरटी) को सहायता के लिए आवेदन-पत्र

सेवा में,

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड,

. . . .

. . . .

प्रिय महोदय,

मैं/हम, अपने/हमारे कारोबार उद्यम के लिए आपकी शर्तों के अनुसार बीजी के विरूद्ध थोक और खुदरा व्यापार (एडब्ल्यूआरटी) के सहायता के तहत आपकी स्कीम का लाभ उठाना चाहता हूं/चाहते हैं।

मैं/हम, यह प्रमाणित करते हैं कि इस आवेदन-पत्र में दिए गए विवरण सत्य और सही हैं और कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है या दबाया नहीं गया है।

मैंने/हमने आपकी उपर्युक्त स्कीम की शर्तों को भली-भांति समझ लिया है और हम उनका पालन करने के लिए सहमत हैं, जिनमें समय-समय किए जाने वाले संशोधन भी शामिल हैं।

यदि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत कोई सूचना/विवरण गलत पाया जाता है, तो मैं/हम इसके परिणामों और निगम को हुई क्षति के लिए जिम्मेदार हूंगा/होंगे और निगम की क्षतिपूर्ति करूंगा/करेंगे।

भवदीय,

(   )

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और कार्यालय की मुहर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम (बड़े अक्षरों के नाम) : . . . .

तारीख. . . . .   हस्ताक्षरकर्ता का पदनाम. . . . .

स्थान. . . . .   यूनिटों के नाम और पते. . . . .

हस्ताक्षरकर्ता के निवास-स्थान का पता. . . . .

. . . .

. . . .

टेलीफोन . . . . फैक्सः. . . . .

टिप्पणी :

1. उधारकर्ता द्वारा संपूर्ण आवेदन-पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिनमें से एक प्रति आवेदन-पत्र फार्म की पावति देते हुए लौटा दी जाएगी।
2. आवेदन-पत्र फार्म में कोई भी जगह/कालम खाली न छोड़ा जाए।

थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों को सहायता के लिए ओवदन पत्र (एडब्ल्यूआरटी)

1. आवेदक यूनिट का नाम :

2. मांगी गई सहायता की रकम (रुपये) :

3. आवेदक यूनिट के ब्योरे

गठन	स्थापना वर्ष	पता और टेलीफोन नंबर	
		कारखाने का नाम	पंजीकृत कार्यालय

4. (क) उद्योग आधार/उद्यम पंजीकरण संख्या.........................तारीख......................

5. जीएसटी पंजीकरण संख्या और तारीख : ....
क. पेन: ....

6. ई-फाइलिंग पावति संख्या : ....(ए/वाई)...................................
(प्रत्येक वर्ष कंपनी का आईटीआर भरने पर पावती रसीद से)

7. आवेदक इकाई के बैंकरों के नाम, पते, टेलीफोन नंबर और आवेदक के खाता (खाते) संख्या

बैंक का नाम	पता	खाता संख्या	टेलीफोन नंबर

8. क्या यह यूनिट पिछड़े क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है (कृपया सही का निशान ( ) लगाएं) पिछड़ा क्षेत्र/ पहाड़ी क्षेत्र/इनमें से कोई नहीं।

9. कृपया इस पर सही का निशान ( ) लगाएं कि क्या यह यूनिट अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ महिला उद्यमी/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/तकनीकी विशेषज्ञ की है।

10. सहायक/सहयोगी/ सामूहिक खाते वाले प्रतिष्ठनों के नाम और पते

यूनिट का नाम	पता	सामूहिक/स्वामित्व/भागीदारों/निदेशकों/ के नाम

11. स्वामित्वों/भागीदारी/निदेशकों का विवरण

नाम	पिता/पति का नाम	पता	आयु	योग्यता	करोबार का अनुभव (वर्ष)	पेन नंबर	आधार नंबर	टेलीफोन और मोबाइल नंबर	ई-मेल का पता	निवल मूल्य (रुपये लाखों में)	भरे गए आईटीआर के इंटरनेट प्रोटोकॉल का पता	भरे गए पिछले आईटीआर की ई-फाइलिंग पावती संख्या

सभी भागीदारों/निदेशकों के विवरण दिए जाएं (यदि आवश्यक हो तो अलग पन्ने का प्रयोग करें)

12. क्रिया कलाप की प्रकृति (लाइन ऑफ एक्टिविटी)

परियोजना का स्वरूप	विनिर्मित/विनिर्माण किए जा रहे उत्पादों का नाम

13. सामग्री/समान की वार्षिक आवश्यकता:

मेटेरियल/सामग्री का नाम	विनिर्माण सप्लायर का नाम	मात्रा	मूल्य (रू.)

14. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से पहले ही प्राप्त या प्राप्त किए जाने वाले वित्तीय सहायता के ब्योरे

वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के नाम	सहायता की रकम	स्वीकृति पत्र की संदर्भ संख्या और तारीख	वापसी की स्थिति	चूक/अतिदेय, यदि कोई हो, की रकम

15. ख 1. क्या आपने (जिसमें आपके सहयोगी /सहायक प्रतिष्ठान भी शामिल हैं) बैंक गारंटी पर आरएमए/बिल बट्टा स्कीम के अधीन एनएसआईसी के किसी कार्यालय से कोई सहायता प्राप्त की है/प्राप्त कर रहे हैं।

ख 2. यदि हां, तो पूरा विवरण दें।

एनएसआईसी के कार्यालय का नाम	यूनिट का नाम (सहयोगी/सहायक प्रतिष्ठान के मामले में पते का उल्लेख करें)	उस स्कीम का नाम, जिसके अधीन सहायता प्राप्त की गई है/की जा रही है	स्वीकृत सीमा	स्वीकृति की तारीख	बकाया देय राशियों के संदर्भ में वर्तमान स्थिति

16. प्रस्तावित प्रतिभूति का विवरण

क) बैंक गारंटी

क्रम संख्या	प्रस्तावित बैंक गारंटी का मूल्य (रुपये)	बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक का नाम	बैंक का पता और टेलीफोन नंबर

ख) वैयक्तिक गारंटियों के विवरण

गारंटीदाताओं के नाम और पते	निवल मूल्य (रूपये)	भरे गए पिछले आईटीआर की ई-फाइलिंग पावति संख्या

17. यूनिट द्वारा सृजित रोजगार (व्यक्तियों की कुल संख्या)

मौजूदा रोजगार (संख्या)	अतिरिक्त रोजगार (यदि कोई है)	जोड़

18. कोई अन्य सूचना

घोषणा

मैं, ...सुपुत्र श्री............................. मैसर्स ....का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता होने के कारण एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूं कि इस आवेदन-पत्र में दिए गए विवरण सत्य और सही हैं और इसमें कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया या दबाया नहीं गया है। **यदि मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना विवरण गलत पाई जाती है तो मैं, उसके परिणामों और निगम को हुई क्षति के लिए जिम्मेदार रहूंगा और निगम की क्षतिपूर्ति करूंगा।**

स्थान: **प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और कार्यालय की मुहर**

दिनांक: